

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.)/जविप्रा/जे.सी. (एम.एस.)/2011/डी-463

दिनांक: (-9-11)

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति का 165वीं बैठक दिनांक 23.08.2011 का कार्यवाही विवरण

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
1	165.1 कार्यकारी समिति की 164वीं बैठक दिनांक 04.08.11 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	कार्यकारी समिति की 164वीं बैठक दिनांक 04.08.11 में लिये गये निर्णय की क्रियान्विति रिपोर्ट आगामी बैठक में 165वीं बैठक दिनांक 23.08.11 के क्रियान्विति रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।		
2	165.2 भूखण्ड सं. बी-208 सालिगरामपुरा में आवंटित भूखण्ड पुनर्ग्रहण में होने पर भूखण्ड का नियमितिकरण करने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से भूखण्ड सं. बी-208 सालिगरामपुरा की पुनर्ग्रहण शुल्क राशि वसूल की जाकर निर्माण अवधि बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-14	
3	165.3 भूखण्ड सं. ए-165 सालिगरामपुरा में आवंटित भूखण्ड पुनर्ग्रहण में होने पर भूखण्ड का नियमितिकरण करने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से भूखण्ड सं. ए-165 सालिगरामपुरा की पुनर्ग्रहण शुल्क राशि वसूल की जाकर निर्माण अवधि बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-14	
4	165.4 गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या एल-21, के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या एल-21, के नियमितिकरण किये जाने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-8	
5	165.5 गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या एल-7, के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या एल-7, के नियमितिकरण किये जाने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-8	
6	165.6 गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या एल-4, के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या एल-4, के नियमितिकरण किये जाने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-8	
7	165.7 जविप्रा की आवासीय योजना स्वर्ण विहार में भूखण्ड संख्या 5 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा की आवासीय योजना स्वर्ण विहार में भूखण्ड संख्या 5 के नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया तथा प्रार्थी से नियमानुसार ब्याज एवं पैनल्टी वसूल किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-8	
8	165.8 भूखण्ड सं. बी-481, पालडी मीणा के पुनर्ग्रहण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से भूखण्ड सं. बी-481, पालडी मीणा के पुनर्ग्रहण शुल्क राशि वसूल की जाकर निर्माण अवधि बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-10	
9	165.9 आनंद लोक आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या बी-33 का आवंटन निरस्त किये को बहाल किये जाने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से आनंद लोक आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या बी-33 का आवंटन निरस्त किये, को बहाल किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-12	
10	165.10 आटोमोबाईल नगर में व्यावसायिक भूखण्ड सं. सी/1/25 का ब्याज शास्ती बकाया होने के कारण नियमितिकरण करने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से आटोमोबाईल नगर में व्यावसायिक भूखण्ड सं. सी/1/25 का ब्याज शास्ती बकाया होने के कारण नियमितिकरण किये जाने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	अति. निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निरस्तारण)	

11

Handwritten signature/initials.

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
11 165.11	श्री पेशुमल पुत्र श्री तोलाराम को मुआवजा दिलाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से श्री पेशुमल पुत्र श्री तोलाराम को मुआवजा दिलाने के संबंध में सचिव, उपनिदेशक (विधि) एवं उपायुक्त जोन-2 की कमेटी का गठन कर प्रकरण के समस्त के परीक्षण कर मुआजवा राशि दिये जाने हेतु प्रकरण को आगामी प्राधिकरण की बैठक (ऑथरिटी) में रखे जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-2	
12 165.12	श्री बाबूलाल जोशी पूर्व प्रवर्तन अधिकारी के द्वारा उनकी बच्ची का एम्स अस्पताल, नई दिल्ली में कराये गये ईलाज पर हुए व्यय के पुनर्भरण की स्वीकृति बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से श्री बाबूलाल जोशी पूर्व प्रवर्तन अधिकारी के द्वारा उनकी बच्ची का एम्स अस्पताल, नई दिल्ली में कराये गये ईलाज पर हुए व्यय के पुनर्भरण की स्वीकृति प्रदान की गई।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTRY AGENDA)				
13 165.13	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अन्तर्गत भवानी सिंह मार्ग को इंदिरा सर्किल से लेकर रामबाग सर्किल तक 60 फीट से 100 फीट करने हेतु रुपये 70.75 लाख के कार्य बिना टैण्डर कराये जाने की स्वीकृति बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कार्य की तत्कालीन आवश्यकता को देखते हुये प्राधिकरण में प्रयत्नित दरों कमशः चार दिवारी @ 12 % Above on PWD BSR-2010 एवं सडक निर्माण कार्य @ 2 % Above on PWD BSR-2010 पर एजेण्डा में वर्णित एजेन्सियों को बिना टैण्डर कुल राशि रुपये 70.75 लाख के कार्य की अनुमति प्रदान की गई। पूर्व में भी समान प्रकृति के कार्य क्रमांक एफ8/जेडीए/ई.ई.-1/11-12/डी-15 दिनांक 21.06.11, एफ8/जेडीए/एक्सईन.-4/10-11/डी-18 दिनांक 10.01.11 व एफ8/जेडीए/ई.ई.-1ए/11-12/डी-07 दिनांक 22.06.11 के द्वारा विधिवत् टैण्डर प्रक्रिया अपनाते हुये करवाये गये है।	अधिशाषी अभियन्ता-1	
14 165.14	जविप्रा सेवा विनियम 1982 के अन्य सूचियों के कालम संख्या 6 के प्रावधानों में संशोधन करने बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से अति. आयुक्त (प्रशासन) द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट के अनुसार अनुमोदन किया गया।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
15 165.15	Post Facto approval of tender document for the work of package-I (Collectorate Circle to Raj Mahal Crossing) & Package-II (Bais Godam) of elevated road in Jaipur.	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से अधिशाषी अभियन्ता (प्रोजेक्ट-2) द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा अनुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	Exe. Eng. (Pro-2)	

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 165वीं बैठक दिनांक 23.08.11 को प्रातः 11.30 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री कुलदीप रांका, जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क्र. सं.	नाम सदस्य / अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1	श्री कुलदीप रांका	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2	श्रीमती शुचि शर्मा	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
3	श्री डी.सी. जवंडा	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4	श्री एच. एस. संघेती	निदेशक नगर नियोजक	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5	श्री एन.सी. माथुर	निदेशक (प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6	श्री भूपेन्द्र कुमार शर्मा	उप निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
7	श्री जे.जे. गुप्ता	GM (Pro.)	आरएसआरटीसी	सदस्य के प्रतिनिधि
8	श्री दिनेश चन्द	EX.En	पी.डब्ल्यू.डी	सदस्य के प्रतिनिधि
9	श्री किशोर कुमार	MC (HQ)	नगर निगम, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
10	श्री पुखराज सैन	अति. आयुक्त (पूर्व)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
11	श्री जाकिर हुसैन	अति. निदेशक राजस्व संपत्ति निरस्तारण	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
12	श्री एस. मित्रा	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13	श्री महेश गोयल	अधिशायी अभियन्ता-2	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14	श्री एम. अहमद	अधिशायी अभियन्ता (पीएचई)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15	श्री गिरीश पाराशर	उपायुक्त जोन-2	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16	श्री अशोक कुमार शर्मा	उपायुक्त जोन-7	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17	श्री दिनेश पंवार	उपायुक्त जोन-11	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18	श्री अनिल कुमार जैन	उपायुक्त जोन-12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19	श्री संजय जैन	उपायुक्त जोन-14	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20	श्रीमती उषा जैन	पी.आर.ओ	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21	सुश्री अपाला मिश्रा	सहायक नगर नियोजक जोन-8	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.)/जविप्रा/जे.सी. (एम.एस)/2011/डी- 4639
पतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

दिनांक: 1-9-11

(5)

क्र.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महादय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	महापौर	जयपुर नगर निगम।
3	जिला प्रमुख	जिला परिषद, जयपुर।
4	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
5	प्रमुख शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलक्टर	जिला कलेक्ट्रेट, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी/प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (परियोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	अतिरिक्त आयुक्त पूर्व/पश्चिम/प्रशासन/एल.पी.सी./भूमि	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	अति. मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	विशेषाधिकारी (आर.एण्ड.एम)/अति.निर्दे. (राजस्व एवं स.नि.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
26	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)/(संसाधन विकास एवं समन्वय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
27	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
28	विशेषाधिकारी (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सम्बन्धित अधिकारी आगामी बैठक से पूर्व पालना रिपोर्ट अद्येहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें।

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर